न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2025-168RAAJodhpur2025-81RTA225 Bijesh Kumar ors Vs Shankarlal etc

01. बिजेश कुमार पुत्र श्री घेवरराम जी,
02. श्रवण कुमार पुत्र श्री घेवरराम जी,
03. डूंगरराम पुत्र श्री दुर्गाराम जी

जातियान– कुम्हार, निवासीगण ग्राम कालाउना, तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब
ना
म

1. शंकरलाल पुत्र श्री बाबुलाल जी,
2. सेठी देवी पत्नी श्री शंकरलाल,

जातियान-- जाट, निवासीगण – ग्राम झाक, तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर।

रेस्पोडेंट्स...

3. ओमाराम पुत्र श्री मोतीराम,
4. छितरराम पुत्र श्री घेवरराम,
5. मोहनलाल पुत्र श्री अन्नाराम,

जातियान– सिरवी, निवासीगण ग्राम कालाउना, तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर।

6. मंजू पुत्री घेवरराम,
7. सुशीला पुत्री श्री घेवरराम,
8. निवासीगण – ग्राम कालाउना, तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा, जिला जोधपुर।

परफोर्मा रेस्पोडेंट्स.....

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
बरखिलाफ आदेश दिनांक 03 मार्च 2025 सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा राजस्व प्रार्थना पत्र सं 17/2022
अनवान शंकरलाल व अन्य बनाम ओमाराम इत्यादि

उपस्थित–
श्री एन.के. चौधरी, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री गणपतलाल चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 01 व 02
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. संख्या 10

नि र्ण य

दिनांक : 29 मई 2026

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 17/2022 अनवान शंकरलाल व अन्य बनाम ओमाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 03 मार्च 2025 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 20 मार्च 2025 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक व दो ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी खसरा नंबर 442 रकबा 3.6324 हैक्टेयर ग्राम कालाउना तहसील बिलाड़ा में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण/रेस्पो. संख्या तीन से पांच की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 448 में से सलंग्न नजरी नक्शे अनुसार मार्क ए.बी.सी.डी रास्ता चाहा गया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार बिलाड़ा से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तत्पश्चात प्रार्थीगण/रेस्पो. की ओर से आदेश 06 नियम 17 सीपीसी का आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन स्वीकार किया जाकर अपीलांट्स को मामले में पक्षकार संयोजित किया गया तथा तहसीलदार से पुनः मौका रिपोर्ट तलब की गई। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 03 मार्च 2025 के जरिये प्रार्थी/रेस्पो. संख्या एक का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट संख्या एक व दो की ओर से प्रस्तुत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी के आवेदन के विचाराधीन रहते उनके द्वारा चाहे गये स्थान के बजाय दूसरे स्थान रास्ता प्रदान किया गया है, जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब तक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सी०पी०सी० का माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लम्बित है, तब किसी भी प्रार्थना–पत्र या वाद में अंतिम आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। विचारण न्यायालय द्वारा जहां से रास्ता दिया गया है, वहां पर अपीलांट्स के पक्के रहवासीय मकान बने हुए है, जबकि प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण को उनके खेत में आने–जाने हेतु पहले से ही कई वैकल्पिक रास्ते मौजूद है। रेस्पोडेण्ड संख्या 1 व 2 के पास खेत में आने जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपलब्ध होने के बावजूद भी नवीन रास्ता उपलब्ध करवाया गया है जो धारा 251–क की मंशा के विपरीत है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03 मार्च 2025 को खारिज फरमाया जावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक व दो ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए धारा 251–ए की मंशा अनुरूप लघुतम एवं निकटतम रास्ते का आदेश पारित किया है। रेस्पोडेंट संख्या एक व दो के आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ता ही लघुतम एवं निकटतम रास्ता है। उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम रास्ता मौजूद नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा तलब प्रथम मौका रिपोर्ट में अपीलाधीन रास्ते पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं बताया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को मामले में पक्षकार संयोजित किये जाने के बाद अपीलांट्स द्वारा रास्ता नहीं दिये जाने की नियत से मौके पर निर्माण कार्य शुरू किया है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त निर्माण कार्य को छोड़ते हुए रास्ते का आदेश पारित किया गया है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मौका फर्द दिनांक 31.08.2022 एवं मौका फर्द दिनांक 08.11.2024 में रेस्पोंडेंट संख्या एक व दो के के खातेदारी खेत खसरा नंबर 442 में आवागमन हेतु मौके पर अपीलांट्स के खातेदारी खेत खसरा नंबर 448/1 में से लघुतम एवं निकटतम रास्ता बताया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त मौका फर्दो के आधार पर धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशानुरूप लघुतम एवं निकटतम रास्ते का विधिसम्मत आदेश पारित किया जाना पाया जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलांट्स का उज्र है कि उनकी खातेदारी भूमि में वांछित रास्ते की भूमि पर पक्के निर्माण है तथा अपीलाधीन आदेश की प्रभाव से अपीलांट्स के निर्माण ध्वस्त हो जायेंगे। अपीलांट्स के उक्त कथनों के परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध प्रथम मौका फर्द दिनांक 31.08.2022 में खसरा नंबर 448/1 की भूमि में किसीप प्रकार का निर्माण नहीं बताया गया है। द्वितीय मौका फर्द दिनांक 08.11.2024 में खसरा नंबर 448/1 के रास्ते की तरफ के दोनो सिरों पर पक्का निर्माण बताया गया है, जिससे साबित है कि अपीलांट्स द्वारा रास्ता नहीं दिये जाने की नियम से उक्त निर्माण कार्य किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा उक्त निर्माण को छोड़ते हुए रास्ता स्वीकृत किया गया है, जिससे उक्त निर्माण को किसी प्रकार की क्षति होना संभावित नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स का उक्त उज्र स्वीकार्य नहीं है। लिहाजा विचारण न्यायालय द्वारा मौका फर्द के आधार पर धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशा अनुरूप लघुतम एवं निकटतम रास्ते का आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितिया में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 17/2022 अनवान शंकरलाल व अन्य बनाम ओमाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 03 मार्च 2025 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील अधिकारी
जोधपुर